

सोशल आडिट निदेशालय

(उ०प्र० सोशल आडिट संगठन के अधीन)

7वाँ तल, पी.सी.एफ. भवन, 32, स्टेशन रोड, लखनऊ-226001

Phone No.: 0522-2630878, Fax: 0522-4003787, E-mail: socialauditup@yahoo.in

पत्रांक: 666/सो.आ.नि.-318(4)/2021

दिनांक: 09 दिसम्बर, 2021

प्रेषक,

निदेशक,

सोशल आडिट,

उत्तर प्रदेश।

सेवा में,

समस्त जिलाधिकारी,

(गाजियाबाद, गौतमबुद्धनगर को छोड़कर)

उत्तर प्रदेश।

विषय: सोशल आडिट टीमों के गठन हेतु विज्ञापित प्रकाशन के सम्बन्ध में।

महोदय,

कृपया उपर्युक्त विषय में आपके संज्ञान में लाना है कि ग्राम पंचायतों में मनरेगा एवं प्रधानमंत्री आवास योजना (ग्रा०) तथा शासन द्वारा निर्दिष्ट अन्य विभागों के अन्तर्गत कराए गए कार्यों के सोशल आडिट हेतु टीमों का गठन किया जाना है।

इस हेतु अपने जनपद के सर्वाधिक प्रचार प्रसार वाले दो हिन्दी दैनिक समाचार पत्रों में अधिकतम 16 से०मी०×10 से०मी० (लम्बाई×चौड़ाई) साइज में विज्ञापन सूचना निदेशक के शासकीय दरों पर अनिवार्य रूप से दिनांक 20-12-2021 के पूर्व प्रकाशित कराया जाना है। प्रकाशित विज्ञापित के बिल का भुगतान सम्बन्धित जनपद के सूचनाधिकारी से सत्यापनोपरान्त बिल प्रस्तुत करने पर निदेशालय द्वारा किया जाएगा। जिला विकास अधिकारी कार्यालय में आवेदन-पत्र पहुँचने की अन्तिम तिथि: 15 जनवरी, 2022 होगी। सोशल आडिट टीमों के गठन की विज्ञापित का प्रारूप निम्नवत है:-

कार्यालय जिलाधिकारी, जनपद.....

सोशल आडिट टीमों के गठन हेतु विज्ञापित

(उ०प्र० सोशल आडिट संगठन, (पंजीकृत सोसाइटी) के अधीन)

ग्राम पंचायतों में निर्दिष्ट योजनाओं यथा मनरेगा तथा प्रधानमंत्री आवास योजना (ग्रामीण) तथा अन्य के अन्तर्गत कराए गए कार्यों का सोशल आडिट करने हेतु ब्लाक स्तर पर 04 सदस्यीय सोशल आडिट टीमों के पैनल तैयार करने हेतु इच्छुक अभ्यर्थियों से निम्नवत् आवेदन पत्र आमंत्रित किए जाते हैं:-

- 1- प्रत्येक सोशल आडिट टीम में सामान्य वर्ग, अन्य पिछड़ा वर्ग, अनुसूचित जाति/जनजाति तथा जाबकार्ड धारक श्रमिक अथवा उसके पात्र पुत्र/पुत्री-प्रत्येक श्रेणी से एक-एक सदस्य होंगे। टीम में न्यूनतम एक सदस्य का महिला होना अनिवार्य है। महिला अभ्यर्थी के स्वयं सहायता समूह (SHG) के सदस्य होने पर उसे वरीयता दी जाएगी।
- 2- शैक्षिक अर्हता:- हाईस्कूल उत्तीर्ण। श्रमिक के मामले में हाईस्कूल उत्तीर्ण अभ्यर्थी उपलब्ध न होने पर चयन समिति द्वारा शैक्षिक अर्हता शिथिलनीय।
- 3- निवास:- सोशल आडिट टीम का सदस्य नामित होने हेतु उसी विकास खण्ड का निवासी होना अनिवार्य है।
- 4- आयु:- 01 अप्रैल, 2022 को 40 से 65 वर्ष के मध्य।
- 5- सोशल आडिट टीमों के सदस्यगण सामाजिक कार्यकर्ता के रूप में 02 वर्ष अर्थात् 01 अप्रैल, 2022 से 31 मार्च, 2024 तक के लिए पैनल पर नामित किए जाएंगे। इस तिथि के बाद यह पैनल स्वतः समाप्त हो जायेगा।

- 6- पैनल पर नामित सदस्यगणों से केवल आवश्यकतानुसार सोशल आडिट हेतु उनकी सेवाएं प्राप्त की जाएंगी। यह भी सम्भव है कि कतिपय मामलों में अपरिहार्य कारणों से सदस्यगणों से सोशल आडिट का कार्य न लिया जा सके। सोशल आडिट का कार्य न लिए जाने की स्थिति में उन्हें किसी प्रकार का व्यवसायिक शुल्क अनुमन्य न होगा।
- 7- सोशल आडिट के वास्तविक रूप से सम्पन्न होने पर सोशल आडिट टीम के प्रत्येक सदस्य को प्रति सोशल आडिट रू0 600/- व्यवसायिक शुल्क के रूप में अनुमन्य होगा।
- 8- सोशल आडिट टीम के सदस्यों की सेवाएं पूर्णतया सामाजिक कार्य हैं। यह किसी प्रकार की नौकरी नहीं है और न ही इससे भविष्य में किसी प्रकार की नौकरी की हकदारी बनेगी।
- 9- टीम के सदस्य हेतु आवेदन पत्र खण्ड विकास अधिकारी कार्यालय या जिला विकास अधिकारी कार्यालय से निःशुल्क प्राप्त किया जा सकता है अथवा संगठन की वेबसाइट www.socialauditup.in से डाउनलोड भी किया जा सकता है।


"सोशल आडिट टीम का सदस्य" हेतु आवेदन पत्र	
1- विकास खण्ड :	2- ग्राम पंचायत :
3- अभ्यर्थी का नाम :	4- पिता/पति का नाम :
5- जन्मतिथि :	6- शैक्षिक अर्हता :
7- श्रेणी (सामान्य वर्ग, अन्य पिछड़ा वर्ग, अनुसूचित जाति/जनजाति, जाबकार्ड धारक श्रमिक अथवा उसके पात्र पुत्र/पुत्री):	
8- सोशल आडिट टीम सदस्य के रूप में पूर्व में प्रशिक्षण प्राप्त किया है- हाँ/नहीं प्रशिक्षण प्राप्त करने का वर्ष-	
9- निवास का पता एवं मोबाइल नं० :	
10- स्वयं सहायता समूह का सदस्य है:- (हाँ/नहीं)	
दिनांक.....	
अभ्यर्थी का हस्ताक्षर.....	

- 10- सोशल आडिट टीम सदस्यों के अधिकाधिक आवेदन पत्र प्राप्त करने हेतु सूचना का व्यापक प्रचार-प्रसार विकास खण्ड स्तर पर किया जाए।

- 11- जिला विकास अधिकारी कार्यालय में आवेदन-पत्र पहुँचने की अन्तिम तिथि: 15 जनवरी, 2022 है।

जिलाधिकारी,
.....

कृपया उपरिलिखित समय-सारणी के अनुसार कार्यवाही सुनिश्चित करने का कष्ट करें।

भवदीय,

(शरद कुमार सिंह) 09/11/21
निदेशक।

प्रतिलिपि :-

निम्नलिखित की सेवा में सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

- 1- अपर मुख्य सचिव, ग्राम्य विकास अनुभाग-7, उ0प्र0 शासन, लखनऊ।
- 2- समस्त मण्डलायुक्त, उत्तर प्रदेश।
- 3- समस्त संयुक्त विकास आयुक्त, उत्तर प्रदेश।
- 4- सम्बन्धित मुख्य विकास अधिकारी, उत्तर प्रदेश।
- 5- सम्बन्धित जिला विकास अधिकारी, उत्तर प्रदेश।

(शरद कुमार सिंह)
निदेशक।